न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 53/2024
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

राजपाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

—वादी

बनाम्

1. जगदीशराय पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. संतोष पुत्री जगदीश पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. मन्जूबाला पुत्री जगदीश पत्नी राजेश कुमार जाति जाट निवासी खाट सजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :— 1. श्री नरेश मण्डा —वकील वादीगण
2. श्री संजय धारणिया —वकील प्रति 1 ता 3

निर्णय

दिनांक :— 19.07.2024

वादी राजपाल ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 21-02-2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है कि वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रति. सं. 1 जगदीशराय पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी दीनगढ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ के नाम से चक 4 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2071—2074 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 48/28 में 1784/2783 हिस्सा अर्थात 1.784 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। कि बाद—पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू, संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है जिसमें बादी का हक वा हिस्सा जन्म से निहित है. वादी के दो बहिन है इस प्रकार प्रतिवादी सं.1 के तीन जायज व कानूनी वारीसान है। प्रति. 1 की पत्नी मैनादेवी के नाम से पूर्व में ही कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की शादीयां अच्छे घरों में अच्छे उपहार देकर कर दी है इसलिये प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अपने हक वा हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में कर दिया है प्रतिवादीया सं. 2 व 3 अपने पास कोई हक वा हिस्सा शेष नही रखना चाहती है। वादी को घरेलू बटवारा में चक 4 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2071—2074 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 48/28 में 0.999 है. नहरी कृषि भूमि हिस्सा में आई है जिस वादी र्निविवाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है। जिसको घोषित करवाने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है कि वादी मौका पर वाद—पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा घोषित न होने के कारण व वादी के पिता के नाम होने से परिवार में असंतोष बना रहेगा खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा [illegible] प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करता रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह वादी [illegible] से कतई तौर पर इन्कार हो गयी यही वाद कारण है कि वाद [illegible] कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है न्यायाल[illegible]धिकार व श्रवा[illegible] में है लिहाजा वाद निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे(क) कि वा[illegible] सम्वत 2071—2074 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 48/28 में [illegible] का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का हिस्सा उसी हद तक कम किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 3 ने हाजिर अदालत आकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:33:41 IST
Reason: SelfAttested

दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण व प्रतिवादीगण काई साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इसलिए साक्ष्य वादीगण एव साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी को चक 4 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2071–2074 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 48/28 में 0.999 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी स 1 का हिस्सा उसी हद तक कम किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादीगण के कथनो का विरोध नही करते हूऐ मुताबिक वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 के राजीनामा वाद पत्र को डिक्री करने हेतू निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आराजी के सह–काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकियात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वादी वादी व प्रतिवादी स 1 ता 3 के राजीनामा के विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि वादी को चक 4 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2071–2074 जमाबन्दी 2078 के खाता सं. 48/28 में 0.999 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 का हिस्सा उसी हद तक कम किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.7.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.06 13:33:41 IST
Reason: SelfAttested